न्यायालयः श्रीमती गुंजन शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल, म0प्र0

आपराधिक प्र0क0–3008582 / 2016
फाइलिंग नंबर–23204 / 2016
सीएनआर नंबर– एम.पी. 0401 / 008826 / 2016
संस्थित दिनांक–12 / 05 / 2016

परिवादी	जफर मोहम्मद खान आत्मज श्री असगर मोहम्मद खान, आयु–57 वर्ष, निवासी–5, फिजा पैलेस, अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल म.प्र.
प्रतिनिधित्व	श्री प्रशांत स्थापक अधिवक्ता
अभियुक्त	शैलेष चौधरी, आत्मज श्री एम.के. चौधरी, आयु–45 वर्ष, निवासी– ई–31, बी.डी.ए. कॉलोनी, कोह–ए–फिजा, भोपाल म.प्र.
प्रतिनिधित्व	श्रीमती मीरा केवट अधिवक्ता

प्रकरण का सारणीबद्ध विवरण

अपराध की तारीख / चैक जारी दिनांक	03.04.2016
परिवाद प्रस्तुति की तारीख	12.05.2016
आरोप के विरचना की तारीख	20.02.2018
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	13.04.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	28.04.2025

दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	06.05.2025

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोपी है	दोष मुक्ति या दोष सिद्ध	अधिरोपित दंडादेश	धारा–428 दंप्रसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
01	**शैलेष चौधरी**	निरंक	09.11.2017	138 परक्राम्य लिखत अधिनियम	**दोष सिद्ध**	**न्यायालय उठने तक की सजा** एवं **10,000 / –रूपये का अर्थदंड** तथा परिव्यय राशि **47,000 / –रू0 (सैतालीस हजार रूपये मात्र)**	**निरंक**

परिशिष्ट

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क– अभियोजन / परिवादी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

प.सा.–01	जफर मोहम्मद खान	मौखिक एवं दस्तावेजी

ख– प्रतिरक्षा साक्षी /बचाव साक्षी–

ब.सा.–02	शैलेष चौधरी	मौखिक एवं दस्तावेजी

ग– न्यायालयीन साक्षी– निरंक

अभियोजन /प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क– अभियोजन

स.क्र	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–01	प्रश्नगत चैक
2	प्रदर्श पी–02	अनादरण मैमो
3	प्रदर्श पी–03	विधिक सूचना पत्र
4	प्रदर्श पी–04	तामीली रिपोर्ट

ख प्रतिरक्षा/बचाव साक्ष्यः–

स.क्र	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी–01	आर.सी.एस. प्रकरण

		क्रमांक–ए / 888 / 2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि
2	प्रदर्श डी–02	आर.सी.टी. प्रकरण क्रमांक–8581 / 2016 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि

न्यायालयीन प्रदर्श–**निरंक**

निर्णय

(आज दिनांक 06.05.2025 को घोषित)

01– अभियुक्त के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एतस्मिन पश्चात् **अधिनियम** के सूक्ष्म नाम से संबोधित) की धारा–138 के अंतर्गत यह अभियोग है कि उसने चैक क्रमांक–000078 दिनांकित 03.04.2016 राशि 12,50,000 / –रूपये बैंक ऑफ बडौदा, हमीदिया रोड शाखा भोपाल का (एतस्मिन पश्चात प्रश्नगत चैक से संबोधित किया जाएगा) विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु परिवादी को प्रदान किया। उक्त चैक परिवादी द्वारा संदाय हेतु उसके बैंक में प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के खाते में **''Fund Insufficient''** के आधार पर अनादरित हो गया, परिवादी द्वारा विहित समयावधि में प्रेषित मांग की लिखित सूचना प्राप्त हो जाने के बाद विहित 15 दिवस की

अवधि में अभियुक्त ने प्रश्नगत चैक की राशि परिवादी को अदा नहीं की।

02– परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य का फ्लेट अभियुक्त द्वारा खरीदने का प्रस्ताव परिवादी के समक्ष रखने पर परिवादी द्वारा सहमति व्यक्त की एवं परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य उक्त उक्त फ्लेट के विक्रय करने के संबंध में दिनांक 16.12.2015 को अनुबंध पत्र का निष्पादन किया, अनुबंध अनुसार उक्त फ्लेट 52,50,000 / –रूपये में विक्रय करना तय हुआ था एवं विक्रय मूल्य में से 12,50,000 / – की अग्रिम राशि का भुगतान परिवादी को करने हेतु पोस्ट डेटेड चैक क्रमांक–000078 दिनांकित 03.04.2016 राशि 12,50,000 / –रूपये बैंक ऑफ बडौदा, हमीदिया रोड शाखा भोपाल का प्रदान किया। उक्त चैक परिवादी द्वारा भुगतान हेतु उसकी बैंक शाखा में पेश करने पर दिनांक 05.04.2016 को बैंक रिटर्न मैमो के अनुसार अभियुक्त के खाते में **''अपर्याप्त निधि''** की टीप के साथ अनादरित होकर उसे प्राप्त हुआ। परिवादी ने अनादरण की सूचना मिलने के पश्चात् मांग की लिखित सूचना अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.04.2016 को अभियुक्त के पते पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया, जो अभियुक्त को

विधिवत प्राप्त हुआ। अभियुक्त को प्रश्नगत चैक में वर्णित राशि वापस न करने के कारण वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात दिनांक–12.05.2016 को यह परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

03– अभियुक्त को निर्णय चरण क्रमांक 01 के अनुसार अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां विरचित कर पढ़कर सुनाये व पूछे जाने पर उसने अपराध किया जाना अस्वीकार करते हुए प्रतिरक्षा करना व्यक्त किया। धारा–313 द.प्र.सं. के तहत किए गए परीक्षण में अभियुक्त ने बताया गया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, परिवादी उससे अतिरिक्त राशि की मांग कर रहा था और फ्लेट का आधिपत्य भी नहीं दे रहा था, बचाव साक्षी के रूप में अभियुक्त शैलेष द्वारा स्वयं को ब.सा.–01 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

04– **<u>प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न लिखित विचारणीय प्रश्न हैं</u>**

1–क्या अभियुक्त द्वारा किसी विधिवतः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन हेतु परिवादी को विवादित चैक प्रदान किया गया था ?

2–क्या परिवादी द्वारा उक्त चैक विहित काल के भीतर

भुगतान हेतु अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया गया था ?

3–क्या बैंक द्वारा अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने से चैक को अनादरित कर परिवादी को वापिस किया गया है ?

4–क्या परिवादी द्वारा अभियुक्त को विहित काल के भीतर लिखित रूप में सूचना देकर विवादित चैक राशि की मांग की गई ?

5–क्या अभियुक्त उक्त सूचना प्राप्ति के पश्चात भी विहित काल में विवादित चैक की राशि का संदाय परिवादी को करने में असफल रहा है?

–:सकारण निष्कर्ष:–

विचारणीय प्रश्न कमांक–01

05– परिवादी जफर मोहम्मद खान प.सा.–01 द्वारा अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि परिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य का फ्लेट अभियुक्त द्वारा खरीदने का प्रस्ताव परिवादी के समक्ष रखने पर परिवादी द्वारा सहमति व्यक्त की एवं परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य उक्त उक्त फ्लेट के विक्रय करने के संबंध में दिनांक 16.12.2015 को अनुबंध पत्र का निष्पादन किया, अनुबंध अनुसार उक्त फ्लेट 52,50,000 / –रूपये

में विक्रय करना तय हुआ था एवं विक्रय मूल्य में से 12,50,000 / – की अग्रिम राशि का भुगतान परिवादी को करने हेतु पोस्ट डेटेड चैक क्रमांक–000078 दिनांकित 03.04.2016 राशि 12,50,000 / –रूपये बैंक ऑफ बडौदा, हमीदिया रोड शाखा भोपाल का चैक प्रदर्श पी–01 हस्ताक्षर कर प्रदान किया।

06– बचाव पक्ष की ओर से परिवादी को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया है कि जिस मकान का विक्रय किया था, वह हमेशा से परिवादी के आधिपत्य में रहा है, यह सुझाव भी दिया है कि फ्लेट की कीमत बढ जाने से परिवादी की नीयत खराब हो गयी थी, इसलिए उसने अभियुक्त को उक्त फ्लेट का कब्जा कभी नहीं दिया। यह सुझाव भी दिया है कि वह ब्याज पर पैसे देता है, जिन सुझावों को परिवादी ने अस्वीकार किया है।

07– बचाव पक्ष की ओर से मुख्यतः यह प्रतिरक्षा ली गयी है कि उक्त सम्व्यवहार के संबंध में अभियुक्त को पूर्व में भी दंडित किया जा चुका है, एक ही अपराध के लिए पुनः दंडित नहीं किया जा सकता। तत्संबंध में बचाव साक्षी शैलेष चौधरी ब.सा.–01 ने कथन किया है कि उसके द्वारा खरीदे गये फ्लेट्स के विक्रय पत्र को परिवादी द्वारा न्यायालय के माध्यम से शून्य कराया गया है। तत्संबंध में डिक्री एवं निर्णय प्रदर्श डी–01 एवं

निर्णय प्रदर्श डी–02 प्रस्तुत किये हैं। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श डी–01 के अवलोकन से दर्शित है कि विक्रय पत्र दिनांकित 09.03.2016 को न्यायालयीन आदेश दिनांक 12.03. 2019 शून्य घोषित किया गया है एवं निर्णय प्रदर्श डी–02 के अवलोकन से दर्शित है कि यद्यपि वर्तमान प्रकरण एवं निर्णित प्रकरण एक ही सम्व्यवहार से संबंधित है, किन्तु उक्त प्रकरण चैक क्रमांक–000077 के अनादरण के संबंध में घोषित किया गया है, जबकि वर्तमान प्रकरण चैक क्रमांक–000078 के अनादरण के संबंध में परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

08– परिवादी ने उसके परिवाद पत्र, शपथ पत्र एवं मांग सूचना पत्र में बताया है कि उसके स्वामित्व के फ्लैट को विक्रय करने पर विक्रय धनराशि के भुगतान स्वरूप अभियुक्त द्वारा प्रपी–1 का चैक उसे प्रदान किया गया था, बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई प्रतिरक्षा नही ली गयी है कि परिवादी और अभियुक्त के मध्य विक्रय पत्र निष्पादित नहीं हुआ था, बल्कि स्वयं अभियुक्त ने प्रदर्श डी–01 की आदेश पत्रिका प्रस्तुत की है, जिसमें विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया गया है। बचाव साक्षी ने कथन किया है कि इसके जो चैक बाउंस हुए है वह फ्लेट के क्रय करने के एवज में दिये थे, इसके अतिरिक्त धारा– 313

दंप्रसं के परीक्षण में अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि उसने राशि इसलिए नहीं दी थी क्योंकि परिवादी ने उसे फ्लेट का आधिपत्य नहीं दिया था, अभियुक्त की साक्ष्य से ही प्रपी–1 के चैक के संबंध में अभियुक्त की विधिक देयता उत्पन्न होना बताया।

09– बचाव पक्ष द्वारा प्रपी–1 के चैक की विधिक देयता से इंकार किया तथा तर्क किया कि विवादित चैक जिस फ्लैट की रजिस्टरी के संबंध में जारी किया गया था, उक्त विक्रय पत्र को परिवादी द्वारा सिविल न्यायालय में चुनौती देकर निरस्त करवा लिया है, इस कारण से विवादित चैक के संबंध में अभियुक्त की कोई विधिक देयता नहीं है,

10– अभिलेख पर प्रस्तुत प्रडी–1 के आदेश एवं डिक्री से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त फ्लैट के संबंध में उभयपक्ष के मध्य निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 09.03.2016 न्यायालयीन आदेश के माध्यम से शून्य घोषित हो गया है अर्थात् विक्रय पत्र जिसके माध्यम से अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक दायित्व के भुगतान स्वरूप प्रपी–1 का चैक जिस उद्देश्य के लिए जारी किया गया था, उक्त उद्देश्य का अब वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, किन्तु प्रश्नगत चैक प्रदर्श पी–01 अभियुक्त द्व

ारा दिनांक 03.04.2016 को परिवादी के पक्ष में लेख किया गया है जो दिनांक 05.04.16 को अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने से अनादरित हुआ है, जबकि विक्रय पत्र परिवाद लंबन के दौरान दिनांक 12.03.2019 को लगभग तीन वर्ष बाद न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, जिस दिनांक को चैक अनादरित हुआ है, उस दिनांक को अभियुक्त को परिवादी के प्रति विधिक देयता अस्तित्व में थी।

11– इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि चैक प्रदर्श पी–01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, जब उक्त चैक अनादरित हुआ था, उस समय अभियुक्त के खाते में पर्याप्त निधि नहीं थी, जिस कारण बैंक द्वारा अनादरण मैमो प्रदर्श पी–02 जारी किया गया। अभियुक्त ने यह भी बताया है कि विक्रय पत्र दिनांक 09.03.2016 को शून्य होने से पूर्व उक्त चैक अनादरित हुआ था और यह स्वीकार किया है कि उक्त चैक का भुगतान दिनांक 03.04.2016 को किया जाना था एवं परिवादी द्वारा सूचना पत्र देने के उपरांत भी उक्त चैक राशि का भुगतान नहीं किया गया, बचाव पक्ष द्वारा प्रपी–1 का चैक उसके बैंक खाते का होना तथा उक्त चैक पर उसके हस्ताक्षर होना स्पष्ट स्वीकार किया हैं।

12– विवादित चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने का तथ्य परिवादी के प्रकरण को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 118(क) एवं 139 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के दृष्टांत (ग) के अंतर्गत चैक जो कि विनियम पत्र का एक प्रकार है, के न केवल प्रतिफलार्थ बल्कि विधिपूर्ण दायित्व से उन्मोचन हेतु प्रदान किये जाने की उपधारणा से भी समर्थित करता है। इस कारण से उक्त अधिनियम की धारा 138 का प्रथम घटक कि चैक ''अभियुक्त के खाते'' का होने के तथ्य प्रमाणित पाये जाते है।

13– इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में जहां एक ओर परिवादी की साक्ष्य का कोई खंडन नही है और न ही उसमें ऐसा कोई तात्विक लोप या विरोधाभास आया है जिससे उस पर किसी प्रकार का अविश्वास किया जा सके। वहीं दूसरी ओर परिवादी की साक्ष्य व उसका प्रकरण उपरोक्तानुसार परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118(क) एवं 139 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114 के दृष्टांत (ग) के अंतर्गत उदभूत उपधारणाओं से भी समर्थित है।

14– अतः परिवादी अपनी साक्ष्य से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा

किसी विधिवतः प्रवर्तनीय ऋण या दायित्य के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन हेतु परिवादी को विवादित चैक प्रदान किया गया था।

विचारणीय प्रश्न कमांक–2

15– इस संबंध में परिवादी जफर मोहम्मद खान (प.सा. 01) ने शपथ पत्र में बताया है कि उसने विवादित चैक को भुगतान हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुल्तानिया रोड भोपाल में प्रस्तुत किया था। परिवादी की ओर से प्रस्तुत रिटर्न मेमो प्रपी 02 के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त चैक अपर्याप्त राशि होने के कारण दिनांक 05.04.2016 को अनादरित हुआ था, जिसकी सूचना उसे अनादरण मैमो के माध्यम से प्राप्त हुयी थी, जिससे यह स्वभाविक है कि परिवादी द्वारा विवादित चैक को **रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया के सरकुर्लर कमांक आर. बी.आई. / 2011–12 / 251 दिनांक 04–11–2011 के अनुसार 01–04–2012 के पश्चात् जारी होने वाले चैक की वैधता अवधि तीन माह निर्धारित की है,** के अनुसार विहित काल में चैक दिनांक से तीन माह के अंदर प्रस्तुत कर दिया गया था। इस प्रकार परिवादी द्वारा परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के परन्तुक (क) के प्रावधानों का भी सम्यक पालन किया जाना दर्शित होता है।

16– अतः परिवादी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उसके द्वारा विवादित चैक विहित काल के भीतर भुगतान हेतु अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किया गया था।

विचारणीय प्रश्न कमांक–3

17– इस संबंध में परिवादी जफर मोहम्मद खान (प.सा. 01) का कथन है कि उक्त विवादित चैक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से अनादरित होकर बिना भुगतान किये उसे बैंक द्वारा वापिस कर दिया गया। परिवादी की ओर से अभिलेख पर प्रपी 02 का मेमोरेंडम प्रस्तुत किया है जो उसके मौखिक कथन की पुष्टि करता है। परिवादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को अभियुक्त की ओर से कोई चुनौती नही दी गई है और न ही उसमें कोई ऐसी कमी दर्शित होती है जिससे उस पर किसी प्रकार का अविश्वास किया जा सके साथ ही उक्त साक्षी धारा 146 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की उपधारणा से भी समर्थित है। मैमोरंडम प्रदर्श पी–02 पर बैंक की सील अंकित हैं, जिससे उक्त मैमोरंडम पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण विद्यमान नहीं है।

18– अतः परिवादी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित

करने में सफल रहा है कि बैंक द्वारा अभियुक्त के खातें में अपर्याप्त राशि होने से विवादित चैक को अनादरित कर परिवादी को वापिस किया गया था।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–4

19– इस संबंध में परिवादी जफर मोहम्मद खान (प.सा. 01) ने यह कथन किया है कि उसने अपने अभिभाषक के माध्यम से अभियुक्त को सूचना पत्र प्रेषित किया था। परिवादी की ओर से अभिलेख पर प्रपी 03 की सूचना पत्र की उसके अभिभाषक की कार्यालयीन प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से परिवादी द्वारा अभियुक्त को विवादित चैक के अनादरण की सूचना देते हुये उसकी राशि का भुगतान किये जाने की मांग करना दर्शित होता है। परिवादी की ओर से अभिलेख पर प्रपी 04 की पोस्टल रसीद भी प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से परिवादी द्वारा दिनांक 13.04.2016 को रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से प्रपी 03 का सूचना पत्र प्रेषित किया जाना भी दर्शित होता है। परिवादी द्वारा अभिलेख पर नेट की ट्रेकिंग रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, जिससे अवलोकन से दिनांक 16.04.2016 अभियुक्त को नोटिस प्राप्त होना दर्शित है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा भी उसके धारा– 313 दंप्रसं के कथन में नोटिस

प्राप्त होना स्वीकार किया है।

20– परिवादी के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को अभियुक्त की ओर से कोई चुनौती नही दी गई है जिससे खंडन के अभाव में और उसकी पारस्परिक संपुष्टि को दृष्टिगत रखते हुये उस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण दर्शित नही होता है। परिवादी द्वारा प्रपी 01 के चैक की अनादरण दिनांक 05.04.2016 से 30 दिवस के भीतर दिनांक 13.04.2016 को अभियुक्त को प्रपी 03 का सूचना पत्र प्रेषित किया है जिससे परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के परन्तुक का सम्यक अनुपालन किया जाना दर्शित होता है।

21– अतः परिवादी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को विहित काल के भीतर लिखित रूप में सूचना देकर विवादित चैक की मांग की गई थी।

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक–5</u>

22– इस संबंध में परिवादी जफर मोहम्मद खान (प.सा. 01) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त को सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी उसने विवादित चैक की राशि का भुगतान नही किया है। परिवादी की ओर से अभिलेख पर रजिस्ट्रीकृत

डाक रसीद प्रदर्श पी–04 एवं ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसके अवलोकन से अभियुक्त को दिनांक 16.04.2016 को नोटिस प्राप्त होना दर्शित है, इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा भी उसके धारा– 313 दंप्रसं के कथन में नोटिस प्राप्त होना स्वीकार किया है।

23– परिवादी की उक्त साक्ष्य को अभियुक्त की ओर से न तो कोई चुनौती दी गई है और न ही उसका ऐसा अभिवाक रहा है कि प्रपी 03 पर अंकित पता उसका नही है या प्रपी 03 का सूचना पत्र उसे प्राप्त नही हुआ था, बल्कि उसने अभियुक्त अभियुक्त कथन में उसे सूचना पत्र प्राप्त होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में परिवादी की अखंडित साक्ष्य यह प्रमाणित करती है कि अभियुक्त को दिनांक 16.04.2016 को सूचना पत्र उसके सही पते पर प्राप्त हो गया था।

24– इस प्रकार परिवादी की उक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि परिवादी द्वारा प्रेषित सूचना पत्र प्रपी 03 अभियुक्त को दिनांक 16.04.2016 को प्राप्त हो गया था। अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई प्रतिरक्षा नही रही है कि उसके द्वारा विवादित चैक की राशि का भुगतान उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर परक्राम्य लिखत अधिनियम

1881 की धारा 138 के परन्तुक(ग) का अनुपालन करते हुये परिवादी को कर दिया गया था।

25– अतः परिवादी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त विवादित चैक की धनराशि की मांग की सूचना की प्राप्ति के पश्चात भी विहित काल में विवादित चैक की राशि का संदाय परिवादी को करने में असफल रहा है।

26– इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में परिवादी अभियुक्त के विरूद्व परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अपराध के सभी घटक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।

27– परिवादी द्वारा परिवाद दिनांक 12.05.2016 को प्रस्तुत किया गया है जो कि परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 142 के अंतर्गत वाद हेतुक उत्पन्न होने की दिनांक से एक माह के भीतर वर्तमान परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्त **शैलेष चौधरी** को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अपराध के लिये **दोषसिद्व** ठहराया जाता है।

28– अभियुक्त की अवस्था 21 वर्ष से अधिक की है।

अभियुक्त एक वयस्क प्रज्ञावान व्यक्ति है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध आर्थिक व्यवस्था के विरूद्ध भी है। वर्तमान समय में चैकों के अनादरण के प्रकरणों में उत्रोत्तर वृद्वि हो रही है, जो कि आर्थिक संव्यवहारों और परक्राम्य लिखतों की विश्वसनीयता को गंभीर क्षति कारित कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण की अन्य सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

29– चूंकि मामला समन प्रकृति का है अतः धारा 255(2) द.प्र.सं. के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना जाना आवश्यक नही है।

30– अभियुक्त द्वारा परिवादी को उसके खाते में अपर्याप्त राशि होने के बावजूद उसे चैक देकर न केवल लगभग नौ वर्ष की अवधि तक उसकी धनराशि से वंचित कर आर्थिक क्षति कारित की गई है, बल्कि अभियुक्त जैसे व्यक्तियों के कारण परक्राम्य लिखतों की विश्वसनीयता को भी क्षति कारित हो रही है, जो कि आर्थिक संव्यहारों के संबंध में उचित संदेश देने वाला तथ्य नही कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित उक्त विधि के साथ–साथ

सुगंधी सुरेश कुमार विरूद्ध जगदीशन (2002)2 एससीसी 420 में प्रतिपादित सिद्वांत के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुये किसी प्रकार की उदारता दिखाये जाने के वजाय उसे उसके द्वारा किये गये अपराध के समानुपातिक दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

31– जहां तक अभियुक्त को सजा देने का प्रश्न है इस बिन्दु पर विचार किया गया। विवादित चैक प्रपी–1 दिनांकित 03.04.2016 का विधिक दायित्व विवादग्रस्त फ्लैट के भुगतान हेतु प्रदान किया गया था, उससे उत्पन्न हुआ, विक्रय पत्र जिस विवादग्रस्त फ्लैट के संबंध में जारी किया गया था उक्त विवादग्रस्त फ्लैट पर कभी भी अभियुक्त का भौतिक आधिपत्य नहीं रहा। यह भी अवलोकनीय है कि विवादित चैक जिस उद्देश्य के लिए जारी किया गया था उस उद्देश्य का अस्तित्व निर्णय दिनांक को प्रडी–1 के आदेश से निष्प्रभावी हो गया है। विवादग्रस्त फ्लैट के संबंध में जारी विक्रय पत्र विधिवत् न्यायालयीन कार्यवाही के माध्यम से निरस्त किया गया है अर्थात् विवादित चैक जिस उद्देश्य/जिस वस्तु के भुगतान के लिए जारी किया गया था उसका अस्तित्व प्रडी–1 के आदेश से वर्तमान में समाप्त हो गया है, परन्तु तत्समय अभियुक्त द्वारा

विवादित चैक जारी करना एवं उक्त चैक विधिक देयता के लिए जारी किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा प्रमाणित पाया गया है तथा उक्त चैक का अपराध जिसमें चैक जारी करना, उक्त चैक अनादरित हेाना एवं चैक के संबंध में मांग सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा धनराशि परिवादी को प्रदान नहीं की है, जिससे तत्समय अपराध का संपूर्ण घटनाक्रम पूर्ण हुआ है।

32– जहां तक विवादित चैक के संबंध में प्रतिकर धनराशि देने का प्रश्न है उक्त संबंध में आदेश प्रदर्श डी–01 के आधार पर विक्रय पत्र का अब कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है और उक्त फ्लैट भी परिवादी के आधिपत्य में है, इस कारण से विवादित चैक प्रपी–1 के संबंध में अभियुक्त का अब वर्तमान में कोई विधिक दायित्व नहीं होने के कारण उक्त चैक के संबंध में अभियुक्त परिवादी को प्रतिकर धनराशि अदा करने का दायित्वाधीन नहीं है। अतः विवादित चैक के संबंध में परिवादी अभियुक्त से कोई प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

33– उपरोक्त समस्त परिस्थिति को देखते हुए अभियुक्त को विवादित चैक प्रदर्श पी–1 के संबंध में नरम रूख रखते मात्र **न्यायालय उठने की सजा से** दंडित किया जाता है। प्रकरण

के विचारण को लगभग नौ वर्ष से अधिक हो गए है तथा न्यायालय का जो समय व्यर्थ हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को **10,000/–रूपये** के अर्थ दण्ड से दंडित किया जाता है । अभियुक्त द्वारा अर्थ दण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को पृथक से **15 दिन के साधारण कारावास** की सजा से दंडित किया जाए।

34– विवादित चैक के संबंध में धारा 138 एन0आई0एक्ट का अपराध पूर्ण हुआ है, इस कारण से उक्त परिवाद पत्र प्रस्तुत करने में परिवादी का जो व्यय हुआ है उक्त व्यय का भुगतान अभियुक्त अदा करेगा। अभियुक्त को आदेशित किया गया कि द. प्र.सं. की धारा 359 के तहत उक्त व्यय धनराशि में न्याय शुल्क 43,500/–रूपये, अधिवक्ता शुल्क 2,500/–रूपये एवं अन्य व्यय 1000/–रूपये इस प्रकार कुल **47,000**/–रूपये व्यय स्वरूप परिवादी को प्रदान करेगा। उक्त व्यय अदा न करने पर अभियुक्त को पृथक से **सात दिवस** के साधारण कारावास भुगताया जावे।

35– व्यय धनराशि **47,000/–** रूपये अपील अवधि पश्चात् परिवादी को प्रदान किया जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

36– अभियुक्त का सजा वारण्ट दो प्रतियों में बनाया जावे।

37– अभियुक्त विचारण के दौरान एक भी दिन न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। अतः न्यायिक अवधि का प्रमाण पत्र निरंक अंकित किया गया। जिसके संबधं में पृथक से धारा 428 द0प्र0स0 प्रमाण पत्र बनाया जावे।

38– अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

स्थान :–भोपाल,

दिनांक :–06.05.2025

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित दिनांकित एवं हस्ताक्षरित।

सही/–
(श्रीमती गुंजन शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल, म0प्र0

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही/–
(श्रीमती गुंजन शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भोपाल, म0प्र0